पत्रांकः विधि– कोषागार–2008–09/-974/0809090 / वाणिज्य कर.

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 19 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
उ0प्र0 ।

निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश को मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि वाणिज्य कर विभाग से संबंधित कतिपय रिफण्ड वाउचरों पर लेखाशीर्षक''–0045–800–व्यापार कर–02–राज्य व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 90–घटाएं वापसियां, और ''0040''–बिक्रीकर–ख राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां (5) घटाएं प्रत्यार्पित धनराशियां के नामे डाला जायेगा'' अंकित है जो बजट साहित्य के छपे लेखा शीर्षक के अनुरुप नहीं है जिसके कारण कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक के सही पुस्तांकन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या–2460, दिनांक 25.09.08 द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को सूचित किया गया है ।

2. उपरोक्तानुसार कतिपय रिफण्ड वाउचरों पर त्रुटिपूर्ण लेखाशीर्षक प्रिन्ट है। रिफण्ड के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्याः वैट अनुभाग–परिपत्र(08–09)–215/वाणिज्य कर, दिनांक 29.05.2008 में संबंधित लेखाशीर्षकों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त संबंध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम व व्यापार कर अधिनियम /नियमावली, वैट अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में रिफण्ड हेतु सही लेखाशीर्षक प्रिन्ट होना चाहिए । अतः यदि प्रपत्र पुराना है और उसमें लेखाशीर्षक गलत प्रिन्ट है तो उक्त परिपत्र में बताये गये सही लेखाशीर्षक की मोहर बनवाकर लगा दिया जाये

3. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

19/12/08

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. ज्वान्ट कमिश्नर (फार्म अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7. विधि अनुभाग को 50 प्रतियां ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।